11/02/25

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा०पत्र 07 R11 CPC हेतु पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रा०पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादी संख्या 4 व 5) स्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार वादपत्र निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/383

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 262/2022 GCMS:- 2022/383 दायर दिनांक : 16.09.2022

राणासेन पुत्री नूरसम्मद पत्नी जुम्मे खां कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) —वादीया

बनाम

1. नूरसम्मद वल्द अकबर कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सलमान खां पुत्र मोहम्मद अली कौम राठ (मुसलमान) साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. असलम पुत्र युसुफ कौम राठ (मुसलमान) साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. आरफखां पुत्र नूरजमाल कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. बिमला देवी पत्नी देवाराम कौम जाट साकिन चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. रियासत अली पुत्र नूरसम्मद कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा सरदारगढ़
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
9. उप—पंजीयक, सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक वादीया
2. श्री गुमाना राम पूनिया, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 व 3
4. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 5
5. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 11.02.2025

पत्रावली निर्णय के लिए प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वर्तमान में विचारण बिन्दु, प्रार्थीगण मूल वाद के प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल वाद बाबत घोषणा

क्रमशः ..... पेज 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खातेदार कृषक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि वाके चक 11 एस.जी.एम. व चक 14 एस.एच.पी.डी. एवं चक 13 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ की भूमि, जो वादीया के पिता नूरसम्मद को पुख्ता आवंटित व पिता से हिस्सा में आयी भूमियां बताई जाकर वादीया ने अपने हिस्सा की भूमि की खातेदार कृषक की घोषणा कर, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की, में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर निर्णय किया जाना है। प्रार्थीगण जो मूल वाद में प्रतिवादीगण हैं, ने यह प्रार्थना–पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि पक्षकारान मुस्लिम जाति से है व उन पर मुस्लिम विधि प्रभावशील है, जबकि वादीया ने हिन्दू विधि के अनुसार सहदायी सम्पत्ति का सिद्धान्त अपनाते हुए वाद प्रस्तुत किया है। मुस्लिम विधि में पिता के जीवनकाल में उसके (पिता के) पुत्र/पुत्रियों को किसी प्रकार के हक उसकी सम्पत्ति में नहीं होते। अंकित काश्तकार अपने नाम अंकित सम्पत्ति का पूर्ण मालिक होता है। प्रतिवादी सं. 5 ने यह भी कथन किया कि प्रतिवादी सं. 5 द्वारा जरिये पंजीबद्ध बैयनामा खरीदशुदा भूमि के पंजीबद्ध दस्तावेज को वादीया ने अवैध बताकर घोषणा चाही है। यह अनुतोष उन्हें मात्र व्यवहार न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है, इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर वाद वादीया उक्त आदेश में श्रवण योग्य ना मानते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की। प्रार्थीगण द्वारा वाद में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर जवाब प्राप्त कर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषकगण प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण सं. 4 व 5) ने प्रार्थना–पत्र में अंकित मुख्य तथ्यों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वाद वादीया कतई श्रवण योग्य नहीं है। वाद व्यवहार न्यायालय के विचारण क्षेत्र का है। वर्तमान में वाद बिन्दुओं पर एक वाद सं. 23/2022 बअनवान रियासत अली बनाम नूरसमद व अन्य भी इस न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने तर्कों के समर्थन में माननीय राजस्व मण्डल का प्रकाशित न्याय निर्णय आर.आर.डी. 1977 पेज सं. 92 प्रस्तुत किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण (वादीया) ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद आदेश 7 नियम 11 व्यवहार

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान से वर्जित है, प्रार्थना–पत्र में स्पष्ट नहीं है। मूल वाद खातेदार कृषक की घोषणा का है जिसकी घोषणा करने का पूर्ण अधिकार राजस्व न्यायालय को है। वाद में तनकी बनाकर व पूर्ण सुनवाई कर ही वाद का निर्णय करने की प्रार्थना की। अपने कथनों के समर्थन में प्रकाशित न्याय निर्णय आर.बी.जे. 1998 पेज 200 व आर.आर.टी. 2003 (2) पेज सं. 970, 633 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण निरस्त करने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन किया व प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं पाया कि वर्तमान मामले में वादीया (अप्रार्थीया) द्वारा वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि वह मुस्लिम होते हुए हिन्दू विधि से परिपाटीगत रूप से अधिशासित हो रही है। यही उनका Personal Law है। परम्परागत रूप से समुदाय के रूप में हिन्दू समुदाय हिन्दू विधि से व मुसलमान मुस्लिम विधि से अधिशासित होना माना गया है। विपरीत की सक्षम न्यायालय से ही घोषणा करवाकर, अनुतोष घोषणा खातेदार कृषक राजस्व न्यायालय से प्राप्त होने योग्य है। इस बिन्दु पर खण्डपीठ का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर प्रकाशित आर.आर. डी. 1977 पेज सं. 92 करीम बक्श बनाम सुलेमान इस मामले में पूर्ण रूप से प्रभावशील होता है। पक्षकारान पर मुसलमान होते हुए हिन्दू विधि एवं उसमें भी विशिष्ट विधि मिताक्षरा विधि की सहदायी विधि प्रभावशील होती है। इसकी घोषणा व्यवहार न्यायालय द्वारा ही दी जा सकती है। राजस्व न्यायालय किसी प्रकार का अनुतोष वादीया को प्रदान करने में अक्षम पाता है। वाद को बिना व्यवहार न्यायालय की घोषणा आगे चलाना अदालत के समय का दुरूपयोग ही माना जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आर. बी.जे. 1998 पेज 200 व आर.आर.टी. 2003 (2) पेज सं. 970, 633 इस मामले में भिन्न विषयवस्तु का होने से प्रभावशील नहीं है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण सं. 4 व 5) स्वीकार कर वाद वादीया आदेश 7 नियम 11 उपधारा 'd' व्यवहार प्रक्रिया संहिता में क्षेत्राधिकार विहीन होने से विधि वर्जित मानकर निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**

बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

राणासेन पुत्री नूरसम्मद पत्नी जुम्मे खां कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादीया**

बनाम

1. **नूरसम्मद वल्द अकबर कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
2. **सलमान खां पुत्र मोहम्मद अली कौम राठ (मुसलमान) साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
3. **असलम पुत्र युसुफ कौम राठ (मुसलमान) साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
4. **आरफखां पुत्र नूरजमाल कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
5. **बिमला देवी पत्नी देवाराम कौम जाट साकिन चक 8 एस.एच.पी.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
6. **रियासत अली पुत्र नूरसम्मद कौम मुसलमान साकिन सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
7. **शाखा प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा सरदारगढ़**
8. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
9. **उप–पंजीयक, सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 262 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीया श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री गुमाना राम पूनिया, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 श्री विनोद कुमार बिश्नोई व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 5 श्री सर्वजीत छाबड़ा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण सं. 4 व 5) स्वीकार कर वाद वादीया आदेश 7 नियम 11 उपधारा 'd' व्यवहार प्रक्रिया संहिता में क्षेत्राधिकार विहीन होने से विधि वर्जित मानकर निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **11.02.2025** को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)